सुरेखा पुत्री जमनालाल महाजन ....अपीलाट
निवासी भोलीयावास निमच

– बनाम –

1:–श्रीमती प्रभा पत्नी गोवर्धन लाल महाजन निवासी सौदर्शनपुरा तह0 बेंगू
2:– दिपक कुमार पिता गोवर्धन लाल महाजन निवासी सौदर्शनपुरा तह0 बेंगू
3:– चीराग पुत्र नरेन्द्र कुमार महाजन नाबालिग सरपरस्त बडी माता श्रीमती प्रभा पत्नी गोवर्धन लाल महाजन निवासी सौदर्शनपुरा तह0 बेंगू
4:– सुश्री शिफा पुत्री नरेन्द्र कुमार महाजन निवासी सौदर्शनपुरा तह0 बेंगू
5:– कान्ता पुत्री जमनालाल महाजन निवासी सौदर्शनपुरा हा0मु0 पत्नी विजयकुमार निवासी बिजौलिया
6:– इन्दिरा पुत्री जमनालाल महाजन निवासी सौदर्शनपुरा हा0मु पत्नी राजेश पितलीया निवासी पारसोली तह0 बेंगू
7:– सुमन पुत्री जमनालाल महाजन निवासी सौदर्शनपुरा हा0मु पत्नी गुणवंत लाल ननवाया निवासी भालोट मन्दसौर
8:– घीसी बाई पत्नी जमनालाल महाजन निवासी सौदर्शनपुरा तह0 बेगूं
9:– सरपंच ग्राम पंचायत धामंचा तह0 बेगूं
10:– भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार तह0 बेगूं ....रेस्पोंडेंटस

उपस्थित :: प्रकाश चंद्र शर्मा
अधिवक्ता अपीलांट
अनुपस्थित
अधिवक्ता रेस्पोंडेंटस

आदेश दिनांक : 07.08.2023

आदेश अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत धामंचा के नामान्तरण संख्या 185 निर्णित दिनांक 20.10.2005

संक्षिप्त में अपील पत्र इस प्रकार से है कि अपीलार्थी श्री मती सुरेखा की ओर से अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 185 ग्राम कल्याणपुरा प.ह. धामंचा निर्णय दिनांक 20.10.2005 के विरूद्ध अधिवक्ता श्री प्रकाश चंद्र शर्मा द्वारा निम्न बिन्दुओ के आधार पर प्रस्तुत की है:

मौजा ग्राम कल्याणपुरा प0ह0 धामंचा के आराजी संख्या 205,206,207,204 किता 4 कुल रकबा 1.6100 है0 भूमि कृषि आराजीयात अपीलान्ट एवं रैस्पोंडेंटस संख्या 1 से 6 तक की संयुक्त खातेदारी से दर्ज है जिसमें अपीलांट का नाम रेखा दर्ज है उक्त कृषि आराजीयात में अपीलांट के एवं रेसपोंडेंटस के ... पिता जमनालाल जी के खातेदारी में दर्ज थी जिनकी मृत्यु उपरान्त ग्राम पंचायत धामंचा द्वारा नामान्तरण ... 185 खोला गया जिसमे अपीलांट का नाम रेखा दर्ज कर दिया गया ... पंचायत की गलती से हुआ है मृतक जमनालाल जी के रेखा नाम की कोई ... एवं न ही रेखा पिता जमनालाल नाम की अन्य कोई महिला सौदर्शनपुरा गांव में है ... जी की पुत्री का नाम सुरेखा है जो अपीलांट है। अपीलांट के समस्त दस्तावेज पहचान पत्र आधार ... कार्ड बोर्ड की अंकतालिका आदि में नाम सुरेखा पिता जमनालाल पत्नि अशोक कुमार अंकित है। लेकिन ग्राम पंचायत ने अपूर्ण जानकारी के अभाव पर अपीलांट का नाम रेखा दर्ज कर दिया है जिसके कारण अपीलांट उक्त प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि आराजीयात के परीलाभो से वंचित हो रही है। ... न्याय हित में ग्राम पंचायत धामंचा द्वारा किया गया नामांतरण संख्या 185 निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:36:01 IST
Reason: SelfAttested

अतः न्यायालय श्री मान से प्रार्थना है ... पंचायत धामंचा का नामांतरण संख्या 185 दिनांक 20.10.2005 को निरस्त फरमाया ... जमनालाल की विरासत में उत्तराधिकारियो के नामांतरण किया जावे तथा ... का नाम सुरेखा दर्ज किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेसपोंडेंटस को जरिये सम्मन से तलब किया गया था। किन्तु सूचना के बावजुद उपस्थित नहीं होने से रेसपोंडेंटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये व रेस्पोंडेंट 10 फोर्मेल पक्षकार होने से जवाब पेश नहीं किया जाने के पश्चात वकील अपीलांट ने एकतरफा बहस इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा गाम कल्याणपुरा प0ह0 धामंचा के आराजी संख्या 205,206,207,204 किता 4 कुल रकबा 1.6100 है0 भूमि कृषि आराजीयात अपीलान्ट एवं रैस्पोंडेंटस संख्या 1 से 6 तक की संयुक्त खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है जिसमें अपीलान्ट का नाम रेखा दर्ज है जो लिपिकिय त्रुटी है उक्त आराजीयात अपीलान्ट/रेस्पोंडेंटस के स्व. पिता जमनालाल जी के खातेदारी में दर्ज थी। जिनकी मृत्यु उपरान्त ग्राम पंचायत धामंचा द्वारा नामान्तरण इंतकाल 185 खोला गया जिसमे अपीलांट का नाम रेखा दर्ज कर दिया गया था जबकि स्व. जमनालाल जी के रेखा नाम की कोई सन्तान नहीं है। स्व. जमनालाल जी की पुत्री का नाम सुरेखा है जो अपीलांट है। समस्त दस्तावेजों में सुरेखा पिता जमनालाल पति अशोक कुमार अंकित है लेकिन ग्राम पंचायत ने अपूर्ण जानकारी के अभाव पर अपीलांट का नाम रेखा दर्ज कर दिया है जिसके कारण अपीलांट उक्त प्रार्थनापत्र में वर्णित कृषि आराजीयात के परीलाभो से वंचित हो रही है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत धामंचा का नामांतरण संख्या 185 दिनांक 20.10.2005 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः जमनालाल की विरासत में उत्तराधिकारियो के नामांतरण किया जावे तथा अपीलांट का नाम सुरेखा दर्ज किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

वकील अपीलांट की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत नकल नामांतरण संख्या 185 दिनांक 20.10.2005 को जमनालाल जी के वारिसान गोवर्धन नरेन्द्र कुमार पुत्र व कान्ता, इन्दिरा,सुमन,रेखा पुत्रिया घीसीबाई पत्नि दर्ज किया हुआ है। नकल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2002 अंकतालिका में सुरेखा पिता जमनालाल व माता घीसीबाई अंकित है जिससे यह सिद्ध होता है कि स्व. जमनालाल जी की पुत्र का नाम सुरेखा है विरासत से खोले गए नामांतरण संख्या 185 में अपीलांट का नाम रेखा अंकित किया गया था जिसे न्यायालय सही प्रविष्टी किया जाना उचित समझता है।

अतः अपील अपीलांट कि स्वीकार कि जाती है मौजा ग्राम कल्याणपुरा प0ह0 धामंचा के आराजी संख्या 205,206,207,204 किता 4 कुल रकबा 1.6100 है0 भूमि विरासत से खोले गए नामांतरण संख्या 185 दिनांक 20.10.2005 को सरपंच ग्राम पंचायत धामंचा द्वारा पारित विधि विपरीत निर्णय को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बेगूं को निर्देशित किया जाता है कि पुनः नामांतरण खोला जाकर रेखा पिता जमनालाल कि बजाय सुरेखा पिता जमनालाल का नाम अंकित करते हुए नामांतरण खोला जावे। निर्णय कि प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 07.08.2023 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:36:01 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द्र गुजर)
उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
जिला चित्तौडगढ़(राज.)
दिनांक ::- 8-8-23

क्रमांक/सरिश्ता/2023/310

... अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 185 ... 2/21 व अनवान श्रीमती सुरेखा बनाम गोवर्धन लाल ... दिनांक 07.08.2023 के आदेश की प्रति वास्ते